

—कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)—

:: आ दे श ::

क्रमांक : 223/लेखा/2024

रतलाम, दिनांक : 13-4-2024

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन एवं वर्तमान में स्थापना पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार न्यायिक अधिकारीगण के स्थानांतरण/पदस्थापना होने के फलस्वरूप जिला स्थापना रतलाम पर प्रशासकीय कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने एवं उनका सुक्ष्मता पूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु समिति बाबत पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक के लिये निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है :-

01. प्रशासकीय समिति :-

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा/आलोट/सैलाना पर प्रशासकीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री आशीष श्रीवास्तव, (जूनियर) द्वितीय जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मनीष अनुरागी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

02. न्यायालय भवन/आवासीय भवन निर्माण एवं पर्यवेक्षण समिति :-

जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा/आलोट/सैलाना पर निर्माणाधीन आवास एवं न्यायालय भवन कक्ष निर्माण एवं पर्यवेक्षण के संबंध निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री आदित्य रावत प्रथम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मयंक मोदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

03. मालखाना अनुभाग में रखी मुद्देमाल संपत्तियों के निराकरण हेतु समिति :-

जिला स्थापना रतलाम पर मालखाना अनुभाग में अत्यधिक मात्रा में मुद्देमाल संपत्ति जो कि जिला कोषालय रतलाम में सुरक्षित रखी गई है, उक्त मुद्देमाल संपत्ति में से ऐसे मुद्देमाल जिनके प्रकरण वर्तमान में निराकृत हो चुके हैं किन्तु मुद्देमाल संपत्ति का निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसी समस्त मुद्देमाल संपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री आदित्य रावत प्रथम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री निर्मल मण्डोरिया अति. जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मयंक मोदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

04. चयन, पदोन्नति, कर्मोन्नति, समयमान, वेतनमान एवं अन्य मामलों (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के सेवा संबंधी) समिति :-

प्रशासकीय कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने एवं उनका सुक्ष्मतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अष्टम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मयंक मोदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री मनीष अनुरागी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

कार्य :-

01. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान एवं पदोन्नति, उच्चतर समयमान वेतनमान आदि की अनुशंसा उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण करके करेंगी।
02. समिति समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति एवं वेतनमान आदि से संबंधित मामला सुपुर्द किए जाने पर उसका निरीक्षण कर अपना अभिमत देगी।

05. आपदा प्रबंधन समिति :-

जिला स्थापना पर आपदा प्रबंधन नीति के अन्तर्गत कार्यों को संपादित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री आशीष श्रीवास्तव, जूनियर द्वितीय जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मयंक मोदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री मनीष अनुरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

06. स्थानांतरण समिति :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्रीमती बरखा दिनकर, तृतीय जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री डी.पी.सुत्रकार, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

कार्य :-

01. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना करना।
02. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के संबंध में तीन वर्ष से अधिक समयावधि तक एक ही पद पर पदस्थ रहने की जानकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर स्थानांतरण प्रस्ताव जिला न्यायाधीश की ओर प्रेषित करेंगे।

7. छानबीन समिति :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री अरविंद श्रीवास्तव अष्टम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मनीष अनुरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

नोट -

01. समिति उन समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी सेवा अवधि 20 वर्ष या आयु 50 वर्ष पूर्ण कर ली हो,के सेवा अभिलेखों का परीक्षण यथासमय करके इस बिन्दू पर अपना प्रतिवेदन देगी कि क्या ऐसे कर्मचारियों को सेवा में निरंतर रखना जनहित में उचित होगा।
02. समिति जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सुपुर्द किये गये उक्त प्रकार के मामलों का परीक्षण कर अपना अभिमत देगी।

08. क्य समिति :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री राजेश नामदेव सप्तम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री निर्मल मण्डोरिया अति. जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री डी.पी.सुत्रकार, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

कार्य :-

01. उपलब्ध बजट को देखते हएु कार्यालय एवं न्यायालयों की मांग अनुसार समिति उपकरण, फर्नीचर व स्टेशनरी क्य करने हेतु प्रतिवेदन मय गुणवत्ता व प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण कर यथासमय प्रस्तुत करेगी।
02. इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता की स्टेशनरी क्य करने हेतु कोटेशन आहुत करने के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
03. समिति कार्यालय एवं न्यायालयों की आवश्यकतानुसार शासकीय मुद्रणालय से क्य की जाने वाली सामग्रियों की अनुशंसा करेगी।
04. समिति जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य सामग्री क्य करने हेतु प्रतिवेदन उनकी गुणवत्ता एवं प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण करके प्रस्तुत करेगी।
05. समिति कार्यालय एवं समय न्यायालयों से उनकी मांग अनुसार पुस्तक क्य किये जाने की अनुशंसा करेगी तथा आवश्यकता अनुसार समय समय पर पुस्तके क्य किये जाने की अनुशंसा करेगी।
06. समिति उपलब्ध बजट के आधार पर गुणवत्ता निर्धारित कर वर्दी क्य किये जाने की अनुशंसा करेगी।

09. निर्माणाधीन आवास एवं न्यायालय भवन कक्ष निर्माण एवं पर्यवेक्षण समिति :-

जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा/आलोट/सैलाना पर निर्माणाधीन आवास एवं न्यायालय भवन कक्ष के निर्माण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री अरविन्द श्रीवास्तव अष्टम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मयंक मोदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

10. उद्यानो के रखरखाव, भवन निर्माण, न्यायालय भवन परिसर की देखरेख साफ सफाई पर्यवेक्षण हेतु समिति -

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री राजेश नामदेव सप्तम जिला न्यायाधीश, रतलाम	श्री मयंक मोदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री अनुपम तिवारी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

11. शिकायत निवारण समिति -

(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट रतलाम	अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ रतलाम	नामांकित सदस्य, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति

12. विशाखा समिति -

(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	सुश्री कृतिका सिंह अति. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री दशरथ पाटीदार, अधिवक्ता रतलाम	आभा निमावत, सामाजिक कार्यकर्ता रतलाम	श्रीमती उषा शर्मा रीडर ग्रेड-2, रतलाम

13. नोटरी एवं शपथ आयुक्तो संबंधित समिति -

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री आदित्य रावत प्रथम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री राजेश नामदेव सप्तम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मनीष अनुरागी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

14. स्टेल एवं इनफेक्टिव आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा बाबत -

अध्यक्ष/(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	अति.पुलिस अधीक्षक, रतलाम	अति.जिला दण्डाधिकारी रतलाम	जिला लोक अभियोजना अधिकारी, रतलाम

15. लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक एवं अति. लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री आदित्य रावत चतुर्थ जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री राजेश नामदेव सप्तम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मनीष अनुरागी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

16- Constitution of Accessibility Commettee -

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री निर्मल मण्डोरिया अति. जिला न्यायाधीश रतलाम
(सचिव)	(अधिवक्ता)	(तकनीकी अनुभवी कर्मचारी)
श्री मनीष अनुरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री राजीव उबी अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रतलाम	श्री वरुणकांत मिश्रा, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट रतलाम
(गैर तकनीकी कर्मचारी)	(दिव्यांग सदस्य)	—
श्री विमल शर्मा, जिला नाजिर, नजारत अनुभाग रतलाम	श्री दीपक रायकवार, मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग रतलाम	—

17. अनुसचिवीय प्रशिक्षण -

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री अरविन्द श्रीवास्तव अष्टम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री निर्मल मण्डोरिया अति. जिला न्यायाधीश, रतलाम	श्री डी.पी.सुत्रकार, षष्ठम व्य.न्या.वरिष्ठ खण्ड रतलाम

18. माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटिशन क. 643/2015 के अनुक्रम में जारी एसओपी क्रमांक सी/1516 दिनांक 08.02.2024 में पारित आदेश के फलस्वरूप गठित समिति -

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री प्रयागलाल दिनकर विशेष न्यायाधीश, रतलाम	श्री आदित्य रावत प्रथम जिला न्यायाधीश, रतलाम	श्री मनीष अनुरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

19. Sansitization Programme on " Guidelines issued on Sexual Harrasment of women at Work Place कमेटी :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(वरिष्ठ सदस्य)	(सदस्य)	(समिति सचिव)
श्री सरोज महेन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	सुश्री कृतिका सिंह अति. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री दशरथ पाटीदार, वरिष्ठ अधिवक्ता	आभा निमावत, सामाजिक कार्यकर्ता	श्रीमती उषा शर्मा, सहायक ग्रेड-2

20. लेखा प्रशिक्षण समिति :-

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1102/ (दो-14-67/59) दिनांक 25.03.2021 में प्रदत्त निर्देशों के तारतम्य में जिला स्थापना पर पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा लेखा प्रशिक्षण हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं अग्रेषण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
श्री अरविन्द श्रीवास्तव अष्टम जिला न्यायाधीश रतलाम	श्री मनीष अनुरागी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम	श्री अनुपम तिवारी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रतलाम

नोट – समिति लेखा-प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करे।

- लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रारंभिक/विभागीय जांच लंबित अथवा निराकृत तो नहीं हुई हैं।
- कर्मचारी की पिछली पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली पर विचार किया जावेगा।
- कर्मचारी की पिछली पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली में "डी" ओसत, अथवा " ई " घटिया श्रेणीकरण न हो।
- चयन करते समय कार्यालय, प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला ग्वालियर के परिपत्र क्रमांक लेखा प्रशिक्षण/379, दिनांक 09.03.2007 में निर्धारित मापदण्ड तथा पश्चात्वर्ती परिपत्र/अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही का ध्यान रखा जावेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावे।

21. एक्सेसबिलिटी कमेटी -

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक Admn./454-A/808 दिनांक 28.11.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड-लाईन के बिन्दू क्रमांक 32 में उल्लेखित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला स्थापना रतलाम पर " एक्सेसबिलिटी कमेटी " हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है -

(वरिष्ठ सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य-अधिवक्ता)	(सदस्य)
श्रीमती बरखा दिनकर तृतीय जिला न्यायाधीश, रतलाम	श्री मयंक मोदी, प्रथम व्य. न्या. वरि. खण्ड रतलाम	श्री विकास पुरोहित, अधिवक्ता	श्री योगेश रामावत, डी.एस.ए

dy
13/04/24

राकेश मोहन प्रधान
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.

रतलाम, दिनांक 13.04.2024

पृष्ठांकन क्रमांक : 1023 / लेखा / 2024

प्रतिलिपि-

01. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय रतलाम।
02. संबंधित सर्व की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
04. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय रतलाम।
05. वरिष्ठ निज सहायक/प्रस्तुतकार जिला न्यायालय रतलाम।
06. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय रतलाम की ओर आदेश की प्रति वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
07. लेखापाल/सहायक लेखापाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम/कुटुम्ब न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

dy
13/04/24

राकेश मोहन प्रधान
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.